



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 293) पटना, शुक्रवार, 9 अप्रील 2021

IE 08@vkjki&01&41@2016&3114@lk0i0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
5 मार्च 2021

श्री विपिन कुमार राय, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 1058/2011 तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर सम्प्रति अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान के विरुद्ध अनावाद बिहार सरकार की भूमि का लगान निर्धारण में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1086 दिनांक 07.10.2016 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2- उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 14942 दिनांक 03.11.2016 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के क्रम में श्री राय का स्पष्टीकरण (दिनांक 15.11.2016) प्राप्त हुआ, जिसमें श्री राय द्वारा आरोपों से इनकार किया गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 7917 दिनांक 30.06.2017 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के पत्रांक 1054 दिनांक 24.08.2020 द्वारा प्राप्त मंतव्य में लगान निर्धारण वाद संख्या-01-2004-05 के संबंध में श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया।

3- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री राय के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री राय से विभागीय पत्रांक 580 दिनांक 13.01.2021 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री राय द्वारा पुनः स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा पुनः आरोपों से इनकार किया गया।

4- श्री राय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या-01-2004-05 के संबंध में श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया है। अतएव श्री राय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

5- अतएव श्री राय का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना तथा जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे।

6- श्री राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

vkn'k& vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldyi dh ifr fcgkj jkti= d: vxy: vlk/kkj.k vd
e: idkf'kr fd;k tk; rFkk bldh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fl jkt lhu v: lkjh]
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 293-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>